रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1971 (फाल्गुन 22, 1892)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1971 (PHALGUNA 22, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
(PART III—SECTION 4)

विविक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.)

रेल दर अधिकरण, मद्रास के समक्ष

[रेल दर अधिकरण नियमावली के नियम 19 (3) और 19 (4) के अधीन जारी की गयी सार्वजनिक सूचना]

1970 की शिकायत संख्या 3

बम्बई

दि जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर... **शिकायतकर्ता**

बनाम

भारत संघ, जो पश्चिम रेलवे का मालिक है और जिसका प्रतिनिधित्व महा प्रबन्धक द्वारा किया जाता है } **प्रत्यर्थी**

यत: उपर्युक्त शिकायतकर्ता ने रेल अधिनियम की धारा 41 (1) के अधीन यह बताते हुए शिकायत पेश की है कि सवाईमाधोपुर में उनका एक सीमेंट कारखाना है और सीमेंट की तैयारी के लिए अपेक्षित कच्चे माल सूचूना-पत्थर सवाई माधोपुर से सोलह मील की दूरी पर फल्लौड़ी पर स्थित उनकी अपनी खदान से रोज 75-80 चौपहिये वैगनों के दो रैकों में परिवाहित किये जाते हैं; खांजाडूंगर स्टेशन से सवाईमाधोपुर स्टेशन तक चूना-पत्थरों के वैसे परिवहन के लिए प्रति क्विण्टल रु० 0.43 की घटायी गयी 'स्टेशन से स्टेशन' दर पर भाड़ा लगाया जाता है; संपूर्ण रैक एक इन्वायस के अधीन एक परेषण के रूप में बुक किया जाता है और उसके लिए एक ही रेलवे रसीद जारी की जाती है; सवाईमाधोपुर स्टेशन पर 3-11-1967 को एक चौकी तुला लगायी गयी और उस तारीख से उस तुला पर चूना-पत्थर के रैक तोले जाते थे; इस तारीख के पहले वैगनों की वहन क्षमता के साथ दो टन जोड़कर जो भार प्राप्त किया जाता था, उसके आधार पर रेलवे रसीद पर उल्लिखित भार ही प्रभार्य भार माना जाता था; रैकों को तोलने में कई असंतोषजनक बातें पायी गयीं; कई बार बातचीत करने के बाद जून 1969 में एक क्रियाविधि आदेश जारी किया गया कि किसी एक महीने में प्राप्त होनेवाले रैकों को कम से कम उनके 5% तक तोला जाय और उस प्रकार तोलने से प्राप्त भार को उस रैक के तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले रैकों के भाड़ों में अवप्रभार की वसूली की संगणना के लिए तब तक आधार भार माना जाय जब तक दूसरे रैक की तौलन की जाती हो; यह आदेश अक्तूबर, 1969 में संशोधित किया गया कि किसी एक महीने में परीक्षण-तौल किये गये सभी रैकों के आधार पर अतिभार के औसत की संगणना की जाय; रैकों में जो वैगन अनुमत वहन भार से अधिक लदे पाये जाते, उन वैगनों के अतिभार के आधार पर ही भाड़ा प्रभार के लिए बिल तैयार किये जाते थे और वैसा बिल तैयार करते समय उसी रैक के इतर वगनों के अवभार को उस अतिभार से समंजित नहीं किया जाता था जो न्यायसंगत नहीं है; 31-7-1969 तक रेलवे ऐसे अतिभार के लिए भी उसी दर पर भाड़ा लगाती थी जो दर परेषण के इतर भाग के लिए लागू हो—अर्थात् स्टेशन से स्टेशन दर पर ही अतिभार का भी भाड़ा लगाया जाता था; 1-8-1969

से यह अतिभार फुटकर मालों की दर पर प्रभारित होता आया है जो न्यायसंगत नहीं है; नियमों में जो संशोधन लाये गये हैं वे न्यायसंगत नहीं हैं; चौकी तुला को सवाईमाधोपुर के उत्तरी यार्ड पर लगाये जाने के बजाय खांजा डूंगर स्टेशन पर लगाया जाना चाहिए;

और यत: शिकायतकर्ता ने (1) फल्लोडी खदान साइडिंग से सवाईमाधोपुर साइडिंग को परिवाहित होने वाले चूना-पत्थर के यातायात पर अब लगायी जानेवाली दर को अनुचित घोषित करने (2) प्रत्येक संपूर्ण रैक में लादे गए चूना-पत्थर के कुल भार पर प्रभार लगाने के लिए रेलवे को निदेश देने और (3) अतिभार पर फुटकर मालों की दर न लगाकर स्टेशन से स्टेशन दर लगाने के लिए रेलवे को निदेश देने की प्रार्थना की है ।

और यत: यह समझा जाता है कि और भी इस प्रकार के व्यक्ति होंगे जो रिकार्डों में नहीं हों परन्तु जिनका, उपर्युक्त शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी के जैसे इन कार्यवाहियों में समान हित हो ।

अत: यह सार्वजनिक सूचना रेल दर अधिकरण नियमावली, 1959 के नियम 19(3) और 19(4) के अधीन दी जाती है ताकि जो चाहे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर इस शिकायत में प्रार्थित अनुतोष की पुष्टि में या विरोध में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए या शिकायतकर्ता अथवा प्रत्यर्थी के पक्ष में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रवेश के आधार पर, कार्यवाहियों में प्रार्थी के हित और स्थिति या उपर्युक्त शिकायत में एक पार्टी के रूप में जोड़े जाने के आधार स्पष्ट करते हुए अधिकरण को अर्जी पेश करे । इस सार्वजिनिक सूचना के बाद अधिकरण द्वारा जो भी फैसला सुनाया जायगा, वह वैसे सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगा ।

आज फरवरी 1971 की नौवीं तारीख को नं० 1 पग्स रोड़ राजा अण्णामलैपुरम, मद्रास–28 में मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के अधीन दिया जाता है ।

(सील)

रेल दर अधिकरण, मद्रास के समक्ष

[रेल दर अधिकरण नियमावली के नियम 19 (3) और (4) के अधीन जारी की गयी सार्वजनिक सूचना]

1970 की शिकायत सं० 4

(कलकत्ता)

रोहटास इण्डस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर } **शिकायतकर्ता**

बनाम

भारत संघ, जो पूर्वी रेलवे का मालिक है और जिसका प्रतिनिधित्व उस रेलवे के महा प्रबन्धक द्वारा किया जाता है } **प्रत्यर्थी**

यत: उपर्युक्त शिकायतकर्ता ने रेल अधिनियम, 1890 की धारा 41 (1) के अधीन यह बताते हुए शिकायत पेश की है कि डेहरीआनसोन स्टेशन के पास के डालमिया नगर में स्थित शिकायतकर्ता के अपने कारखानों में सीमेंट, कागज और बोर्ड, वनस्पति आदि का उत्पादन किया जाता है; प्राय: सभी कच्चे माल और उत्पादित वस्तुएं रेलों के जरिये प्रति दिन औसतन 100 आवक और 80 जावक वैगनों के हिसाब में परिवाहित होती हैं; रेलवे ने स्टेशन यार्ड से सटी अपनी भूमि में इमदादी साइडिंग की व्यवस्था की है ; शिकायतकर्ता के परिसर में बनी निजी साइडिंग इमदादी साइडिंग से जोड़ी गयी है ; इमदादी साइडिंग का, जो सभी वैगनों के अदल-बदल के लिए बदली-लाइन के रूप में उपयोग करने के लिए उद्दिष्ट है, केवल ब्लाक रैकों में प्राप्त कोयले वैगनों तथा उनको खाली लौटाने के मामलों में उस प्रकार उपयोग किया जाता है; सभी अन्य लदे वैगनों और खाली वैगनों का अदल-बदल स्टेशन विन्यास यार्ड में किया जाता है; अदल-बदल के बाद शिकायतकर्ता के ही रेल इंजनों द्वारा कर्षण किया जाता है; कोयले के रैकों का रेलों के रेल इंजनों द्वारा कर्षित होना बहुत सीमित है; रेलवे 12% अनुपूरक प्रभार और 9%अतिरिक्त अनुपूरक प्रभार के अलावा प्रति क्विंटाल कोयले के लिए 2.3 पैसे और प्रति क्विंटाल अन्य पण्यों के लिए 2.0 पैसे के हिसाब में साइडिंग प्रभार वसूल कर रही है; चूंकि रेलवे को शिकायतकर्ता के यातायात के निपटान के लिए स्टेशन में लंबी लाइनों की व्यवस्था करने और उनका अनुरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इमदादी साइडिंग के लिए साइडिंग और अनुरक्षण प्रभार वसूल नहीं किया जाना चाहिए; यदि ये प्रभार प्रभार्य हैं तो वे अनुचित हैं; शंटिंग की लागत प्रगति शंटिंग के लिए लिये गये समय और प्रति शैंटिंग इंजन घंटे की लागत पर निर्भर है; शंटिंग की लागत पर वैगनों की संख्या, भार या पण्य की किस्म का कोई असर नहीं पडता; दूरी के अनुसार बदलनेवाला और स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा करने वाला प्रति क्विंटाल का आधार जो पूर्वी रेलवे में है, अयुक्तिक है; साइडिंग प्रभार की मात्रा अत्यधिक है और वास्तविक खर्च के बिलकुल विपरीत है; इस प्रकार की परिस्थिति में अन्य रेलें साइडिंग प्रभार वसूल नहीं करतीं और यदि वे करती हैं तो वे अयुक्तिक आधार पर प्रभार नहीं करतीं; यह शिकायतकर्ता के अत्यधिक प्रतिकूल है और प्रत्यर्थी रेल अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन करता है; प्रति वर्ष रु० 14251.57 का अनुरक्षण प्रभार अनुचित है ।

और यत: शिकायतकर्ता ने (1) अनुपूरक प्रभार को भी मिलाकर साइडिंग प्रभार को अनुचित घोषित करने; (2) रेलवे को यह आदेश देने कि शिकायत करने की तारीख से ऐसा प्रभार वसूल नहीं किया जाय अथवा उचित प्रभार नियत करने; (3) अनुरक्षण प्रभार को अनुचित घोषित करने; (4) रेलवे को यह आदेश देने कि शिकायत करने की तारीख से ऐसा प्रभार वसूल नहीं किया जाय अथवा उचित प्रभार नियत करने और (5) रेलवे को अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन न करने के आदेश देने की प्रार्थना की है ।

और यत: यह समझा जाता है कि और भी इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, जो रिकार्डों में नहीं हों परन्तु जिनका शिकायतकर्ता या उपर्युक्त प्रत्यर्थी के जैसे इन कार्यवाहियों में समान हित हो ।

अत: यह सार्वजनिक सूचना रेल दर अधिकरण नियमावली, 1959 के नियम 19 (3) और (4) के अधीन दी जाती है ताकि जो चाहे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर इस शिकायत में प्रार्थित अनुतोष की पुष्टि में या विरोध में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए या शिकायतकर्ता अथवा प्रत्यर्थी के

पक्ष में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रवेश के आधार, कार्यवाहियों में अपने (प्रार्थी के) हित और स्थिति या उपर्युक्त शिकायत में एक पार्टी के रूप में जोड़े जाने के आधार स्पष्ट करते हुए अधिकरण को अर्जी पेश करे । इस सार्वजनिक सूचना के बाद अधिकरण द्वारा जो भी फैसला सुनाया जायेगा वह वैसे सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगा ।

आज फरवरी 1971 की 12वीं तारीख को नं० 1, पग्स रोड़, राजा अण्णामलैपुरम, मद्रास-28 में मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के अधीन दिया जाता है ।

के० एस० शंकरय्या, सचिव,
रेल दर अधिकरण, मद्रास-28

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL AT MADRAS

(Public Notice issued under Rule 19(3) and 19(4) of the Railway Rates Tribunal Rules, 1959).

Complaint No. 3 of 1970

(Bombay)

The Jaipur Udyog Ltd. Sawaimodhopur.—*Complainant.*

vs.

The Union of India, owning the Western Railway and represented by its General Manager.—*Respondent.*

Whereas the Complainant abovenamed has filed a complaint under Section 41(1) of the Railways Act stating that they own a cement factory at Sawaimadhopur and limestone, the raw material for cement is transported daily in two rakes of 75 to 80 four wheeled wagons from their quarries at Phallodi which is sixteen miles from Sawaimadhopur; that for the transport of limestone from Rawanjana Dungar station to Sawaimadhopur station the freight is charged at a reduced station to station rate of Re. 0.43 per quintal; that the entire rake is booked as one consignment on one invoice and one railway receipt is issued; that a weigh bridge was installed at Sawaimadhopur station and limestone rakes were weighed from 3-11-1967; that before this date the weight as mentioned in the railway receipts based on the carrying capacity of the wagon plus two tons was taken as the chargeable weight; that there were many unsatisfactory features about the weighment; that after several discussions a procedure order was issued in June 1969 to the effect that not less than 5% of the rakes received in a month will be weighed and the result of weighment will form the basis for recovery of undercharges in freight for that rake and for subsequent rakes till another rake is weighed; that in October, 1969 this was modified to arrive at an average overweight based on all rakes test weighed in a month; that the bills for freight charges were prepared on the basis of the excess weight discovered in such of the wagons as were found loaded beyond the permissible capacity and without setting off such excess weights against the underweights discovered in the rest of the wagons in the same rake which is unreasonable; that upto 31-7-1969 the railway charged these excess weights at the same rate as for the rest of the consignment, *i.e.* at the station to station rate; that from 1-8-1969 the excess weights were charged at the "smalls rate" which is unreasonable; that the change in the rules was without justification; that the weigh bridge should have been installed at Rawanjana Dungar station instead of in the north yard at Sawaimadhopur.

And Whereas the complainant has prayed for (1) declaration that the rate at present charged by the railway in respect of limestone traffic from Phallodi quarry siding to the siding at Sawaimadhopur is unreasonable (2) to direct the railway to charge only on the aggregate weight of the lime stone loaded in each rake as a whole and (3) to direct the railway to charge the excess at the station to station rate and not at the smalls rate.

And whereas it is thought that there may be persons who are not on record but have the same interest in the proceedings as the Complainant or the Respondent above named;

This public notice is therefore given under Rule 19(3) and (4) of the R.R.T. Rules, 1959, so that any person who desires may petition the Tribunal within 30 days of the publication of this notice for leave to intervene in support of or opposition to the reliefs sought in the complaint or be added on the side of the complainant or the respondent setting forth the grounds of the proposed intervention the position and the interest of the petition in the proceedings or the grounds for being added as a party in the above complaint. Any decision given by the Tribunal after the public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and seal of the Tribunal this 9th day of February 1971, at No. 1 Pugh's Road, Raja Annamalaipuram, Madras 28.

(Public Notice under Rule 19(3) and (4) of the R.R.T. *Rules* 1959)

Complaint No. 4 of 1970

(Calcutta)

Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar.—*Complainant.*

vs.

The Union of India, owning the Eastern Railway, and represented by its General Manager.—*Respondent.*

Whereas the Complainant abovenamed has filed a Complaint under Section 41(1) of the Railways Act 1890 stating that the Complainant's factory at Dalmianagar, adjacent to Dehri-on-sone station, produces cement, paper and board, vanaspati, etc; that most of the raw materials and output are transported over the railway on an average of 100 inward and 80 outward wagons per day; that the railway provided assisted sidings in its land connected with the station yard; that the private siding within the premises of the complainant is linked with the assisted sidings; that the assisted siding intended to be used as transfer lines for interchange of all wagons is being used as such only in the case of inward coal wagons in block rakes and their return empties; that all other loaded wagons and empties are interchanged in the station marshalling yard; that after the interchange, the haulage is done by complainant's own locomotives; that the haulage by railway's locomotive with regard to coal rakes is limited; that the railway is levying siding charges at 2.3 paise per quintal for coal and 2.0 paise per quintal for other commodities in addition to 12% supplementary charge and 9% additional supplementary charge; that siding and maintenance charges for the assisted siding should not be levied since the railway is saved the need to provide and maintain extensive lines for dealing with complainants' traffic at the station; that in case these charges are leviable, the same are unreasonable; that the cost of shunting depends on the time per shunt and the cost per shunting engine hour; that the number of wagons, the weight or the type of commodity has no effect on the cost of shunting; that the per quintal basis in the Eastern Railway varying with the distance and ignoring local conditions is irrational; that the quantum of siding charges is excessive and nowhere near actual expenses; that other railways in similar circumstances do not levy siding charges and if they levy, they do not levy on the irrational basis; that the complainant is unduly prejudiced

and the respondent is contravening Section 28 of the Railways Act; that the maintenance charge of Rs. 14251.57 per year is unreasonable.

AND WHEREAS the complainant has prayed for (1) to declare the siding charges including the supplementary charges as unreasonable; (2) to direct the railway that from the date of the complaint no such charges should be levied or in the alternative to fix reasonable charges; (3) to declare the maintenance charge as unreasonable; (4) to direct the Railway that from the date of the Complaint no such charge should be levied on in the alternative to fix reasonable charge and (5) to direct the railway to desist from contravening Sec. 28 of the Act.

AND WHEREAS it is thought that there may be persons who are not on record but have the same interest in the proceedings as the complainant or the respondent above named;

This public notice is, therefore, given under Rule 19(3) and (4) of the R.R.T. Rules 1959, so that any person who desires may petition the Tribunal within thirty days of the publication of this notice for leave to intervene, in support of or in opposition to the reliefs sought for in the complaint or be added as a party on the side of the complainant or respondent setting forth the grounds of the proposed intervention or the position and the interest of the petitioner in the proceedings or the grounds for being added as a party in the above complaint. Any decision given by the Tribunal after this public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and seal of the Tribunal this 12th day of February, 1971 at No. 1 Pugh's Road, Raja Annamalaipuram, Madras 28.

K. S. SHANKARAIYA
Secretary
Railway Rates Tribunal/Madras-28

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Regional Office (Tamil Nadu)

Madras-34, the 20th January 1971

No. TNR/CO-3(17)/70.—It is hereby notified that Shri K. Achuthan, Branch Manager, Southern Roadways Private Limited, Tiruchirapalli has been nominated as a member on the Local Committee (Employees' State Insurance Corporation), Tiruchirapalli area *vice* Shri V. Sankaran, Branch Manager, Southern Roadways (Pvt.) Limited, Tiruchirapalli under clause (1) (d) of Regulation 10A with effect from 20th January 1971.

The following amendment shall accordingly be made to this office notification No. MR/CO-3(23)/62, dated 29-1-1969 namely for the existing words against Sl. No. 5, the following shall be *substituted*.

"K. Achuthan,
Branch Manager,
Southern Roadways Private Limited,
Tiruchirapalli."

By Order

The 12th February 1971

No. TNR/CO-3(6)/70.—It is hereby notified that Shri A. Ramiah, Joint Secretary, Madurai District Mill Workers' Union, Madurai has been nominated as a member on the Local Committee (E.S.I.) Madurai area *vide* Shri V. G. Jaganathan, General Secretary, Madurai District Mill Workers' Union, Madurai under clause (1)(e) of Regulation 10A with effect from 12-2-1971.

The following amendment shall accordingly be made to this office notification No. MR/CO-3(11)/66, dated 15-3-1969 namely for the existing words against Sl. No. 8 the following shall be *substituted*.

"Shri A. Ramiah,
Joint Secretary,
Madurai District Mill Workers' Union,
Madurai."

By Order

V. SIVARAMAN
Regional Director & Ex-Officio
Member-Secretary to the Regional Board,
Tamil Nadu

LIC OF INDIA

SECRETARIAL DEPARTMENT

Amendments to the LIC of India (Staff) Regulation, 1960

CORRIGENDA

In the Gazette of India, Part III, Section 4, dated 23rd January, 1971 under the heading "Amendments to the LIC of India (Staff) Regulations, 1960" the following misprints have occurred. These together with the necessary corrections are rectified hereunder :—

(1) Regulation 7(1)(iii)—On page No. 325 in Sub-regulation (b) the word "and" occurring after the words "Section Heads" should be *read* as "add".

(2) Schedule I :—On page No. 326 under Column No. 4 the word "D.M." should be *read* as "Z.M."

(3) Schedule IV :—

(i) On page 326 against Reg. No. 29 under column headed Authority, the word "other" should be read as "others".

(ii) Against Reg. No. 69(4), the words "extent of joining tie curtailed", "Authority empowered to sanction transfer" and "In respect of others" respectively under the columns headed Nature of Power, Authority and Extent of Power should be *deleted*.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971